



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग का कनिष्ठ अभियंता 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 25 अप्रैल सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज नागौर में कार्यवाही करते शिवशंकर योगी कनिष्ठ अभियंता, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग परबतसर, नागौर को परिवादी से 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वाटर शेड योजना के अन्तर्गत निर्मित टांके एवं एनीकट के निर्माण के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में शिवशंकर योगी कनिष्ठ अभियंता, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग परबतसर, नागौर द्वारा 25 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सीकर के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद मय टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुये शिवशंकर योगी कनिष्ठ अभियंता, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग परबतसर, नागौर को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में परिवादी से वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।